रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 233] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1985/ज्येष्ठ 11, 1907
No. 233] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1985/JAYAISTHA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1985

सं. 192/85-सी.मा-शुल्क

सा. का. नि. 480(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवास अन्तरण नियम, 1978 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निवास अन्तरण (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निवास अन्तरण नियम, 1978 के नियम 4, में "तीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 497/18/85-सं.मा-शुल्क-VI]

आर. एस. सिद्धू, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 1985

No. 192|85-CUSTOMS

G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Transfer of Residence Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Transfer of Residence (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Transfer of Residence Rules, 1978, in rule 4, for the words "thirty thousand rupees", the words "fifty thousand rupees" shall be substituted.

[F. No. 497|18|85-Cus.VI.]

R. S. SIDHU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985